TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, dated, 05.07.2018,

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by section 73 and section 74 read with sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India , hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on **15 August, 2018**

2.

In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014

(a) in rule 4, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that a certificate of the statutory auditor of the company shall be attached in Form DPT-1, stating that the company has not committed default in the repayment of deposits or in the payment of interest on such deposits accepted either before or after

payment of interest on such deposits accepted either before or after the commencement of the Act and in case a company had committed a default in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or in the payment of interest on such deposits, a certificate of the statutory auditor of the company shall be attached in Form DPT-1, stating that the company had made good the default and a period of five years has lapsed since the date of making good the default as the case may be.";

(b) rule 5 shall be omitted;

(c) in rule 13, for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the amount remaining deposited shall not at any time fall below twenty per cent. of the amount of deposits maturing during the financial year.";

(d) in rule 14, in sub-rule (1), clause (k) shall be omitted;

(e) in the Annexure,-

i) for Form DPT-1, the following Form shall be substituted , namely:-

"**FORM DPT-1**

CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS

[Pursuant to section 73 (2)(a) and section 76 and rule 4(1) and 4(2) of the

The circular or circular in the form of advertisement shall contain the following:

1. GENERAL INFORMATION

(a) Name, address, website and other contact details of the company;

(b)Date of incorporation of the company;

(c)Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any;

(d)Brief particulars of the management of the company;

(e)Names, addresses, DIN and occupations of the directors;

(f) Management's perception of risk factors;

(g). Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of -

(i) statutory dues;

(ii) debentures and interest thereon;

(iii) loan from any bank or financial institution and interest thereon.

2. PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

(a) Date of passing of board resolution;

(b) Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits;

(c) Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured;

(d) Amount which the company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months;

(e) Terms of raising of deposits : Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment;

(f) Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement is valid;

(g) Reasons or objects of raising the deposits;

(h) Credit rating obtained; Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning of the rating obtained, Date on which rating was

obtained;

(i) Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any;

(j) Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons.

3. DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

(a) Amount Outstanding;

(b) Date of acceptance;

(c) Total amount accepted;

(d) Rate of interest;

(e) Total number of depositors;

(f) Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and duration of default involved;

(g) Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits.

4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

(a) Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;

(b) Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid or interest paid) ;

(c) A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;

(d) Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;

(e) Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company.

5. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT-

(a) the company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment of interest on such deposits and where a default had occurred, the company made good the default and a period of five years had lapsed since the date of making good the default;

(b) the board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the company, the company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement;

(c) the company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(d) the compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government;

(e) the deposits accepted by the company before the commencement of the Act have been repaid (or will be repaid along with interest within __ days (days to be specified) and until they are repaid, they shall be treated as unsecured and ranking pari passu with other unsecured liabilities);

(f) in case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty;

(g) the deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the form of advertisement;

(h) the deposits accepted by the company (other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which to be indicated) are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the company.

Attachments

1. ***Auditor's certificate;**
2. **Optional attachment, if any.**

Attach

Attach

Attach

List of attachments "

;

Remove attachment

(ii) for Form DPT–3, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM DPT-3

Return of deposits

[Pursuant to rules 3 and 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *Corporate Identity Number (CIN) [ ] Pre fill
   (b) Global Location Number (GLN) [ ]

2. (a) Name of the company [ ]
   (b) Registered office address

   [ ]

   (c) *email id [ ]

3. Whether the company is o Public company o Private company
4. *Whether the company is a government company o Yes o No
5. Objects of the company

   [ ]

16

6. (a) Date of issue of advertisement or circular
   (b) *Date of last closing of accounts
   (c) Date of expiry of validity of advertisement or circular
7. *Net Worth as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return-

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)
(a) (i)	Paid up share capital	
(ii)	Free reserves	
(iii)	Securities Premium Account	
(b) (i)	Accumulated loss	
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	
(c)	Net worth (a) – (b)	
(d)	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)	

8. * (a) Total number of deposit holders as on 1st April
   (b) Total number of deposit holders at the end of financial year
9. *Particulars of deposits (In Rupees)
   (a) Amount of existing deposits as on 1st April
   (b) Amount of deposits renewed during the year
   (c) Amount of new deposits accepted during the year
      (i) Secured deposits
      (ii) Unsecured deposits
   (d) Amount of deposits repaid during the year
   (e) Balance of deposits outstanding at the end of the year
10. (a) *Amount of deposits that have matured but not claimed

(b) *Amount of deposits that have matured and claimed but not paid

11. *Particulars of liquid assets

(a) Amount of deposits maturing on or before 31st march next year

and following next year

(b) Amount required to be invested in liquid assets

(c) Details of liquid assets

Particulars	Amount
(a) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank	
(b) Unencumbered securities of Central/State Government Face value	
Market Value	
(c) Unencumbered trust securities Face value	
Market value	

12. Particulars of charge

(a) Date of entering into trust deed

(b) Name of the trustee

(c) Short particulars of the property on which charge is created for securing depositors

(d) Value of the property

Attachments

1.Auditor's certificate; Attach

2.Copy of trust deed; Attach

List of attachments

3. Copy of instrument creating charge; Attach

4. List of depositors; Attach

5. **Details of liquid assets**; Attach

6. Optional attachment, if any. Attach

Remove attachment

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated * to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by **DSC Box**

*Designation

*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or

CEO or CFO; or membership number of the company secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only: Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

[File No 1/8/2013-CL-V]

05/7/18

(K V R Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended :-

(1) Vide notification number G.S.R. 386(E) dated the 6th June, 2014;

(2) Vide notification number G.S.R. 241(E) dated the 31st March, 2015;

(3) Vide notification number G.S.R. 695(E) dated the 15th September, 2015;

(4) Vide notification number G.S.R. 639(E) dated the 29th June, 2016;

(5) Vide notification number G.S.R. 454(E) dated the 11th May, 2017; and

(6) Vide notification number G.S.R. 1172(E) dated the 19th September, 2017.

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 05 जुलाई, 2018

सा.का.नि. _______ (अ).- केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 73 और धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2018 है।
   (2) ये नियम 15 अगस्त, 2018 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में-

(क) नियम 4 के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक का एक प्रमाण-पत्र प्ररूप डीपीटी-1 यथास्थिति यह कथन करते हुए कि कंपनी ने इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के या पश्चात् स्वीकृत किसी जमा राशि पर जमा के भुगतान या ब्याज के भुगतान व्यतिक्रम नहीं किया है, संलग्न किया जाएगा और यदि कंपनी ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् स्वीकृत जमा राशि की वापसी या ऐसी जमा पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम किया है तो कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र प्ररूप डीपीटी-1 में यह कथन करते हुए कि कंपनी ने यह व्यतिक्रम पूरा कर लिया है और व्यतिक्रम पूरा करने की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि बीत गई है, संलग्न किया जाएगा";

(ख) नियम 5 का लोप किया जाएगा;

(ग) नियम 13 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जमा रहने वाली राशि किसी भी समय वित्तीय वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमा राशि के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी।";

(घ) नियम 14 में, उपनियम (1) के खंड (ट) का लोप किया जाएगा;

(ड.) उपाबंध में,-

(i) प्ररूप डीपीटी-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप डीपीटी-1

जमा आमंत्रित करने के लिए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र

[धारा 73(2)(क) और धारा 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति नियम, 2014 के नियम 4(1) और नियम 4(2) के अनुसरण में]

परिपत्र या विज्ञापन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे

1. साधारण सूचना

(क) कंपनी का नाम, पता, वेबसाइट और अन्य संपर्क ब्यौरे;

(ख) कंपनी के निगमन की तारीख;

(ग) कंपनी और उसकी समनुषंगी द्वारा किया जा रहा कारबार और उसकी शाखाओं या यूनिट, यदि कोई हो, के विवरण;

(घ) कंपनी के प्रबंधन के संक्षिप्त विवरण;

(ङ) निदेशकों के नाम, पते, डिन और उपजीविका;

(च) प्रबंधन के जोखिम कारकों के अनुमान;

(छ) व्यतिक्रम के ब्यौरे, इसमें सम्मिलित रकम के साथ, व्यतिक्रम की अवधि और निम्नलिखित के प्रतिसंदाय की वर्तमान स्थिति-

i) कानूनी बकाया;

ii) डिबेंचर और उस पर ब्याज;

iii) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण और उस पर ब्याज।

2. जमा स्कीम के विवरण

(क) बोर्ड के संकल्प पारित करने की तारीख;

(ख) साधारण अधिवेशन में ऐसी जमा को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित करने की तारीख;

(ग) जमा का प्रकार, अर्थात् प्रतिभूति सहित या प्रतिभूतिरहित;

(घ) वह रकम, जो कंपनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जमा द्वारा प्राप्त की जा सकेगी, और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन और परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख को वास्तव में धारित जमा और उसको जुटाने के लिए प्रस्तावित जमा की रकम और आगामी बारह माह में प्रतिसंदाय की जाने वाली जमा की रकम का योग;

(ङ) जमा जुटाने, भुगतान की अवधि, ब्याज दर, भुगतान की रीति और उसका प्रतिसंदाय;

(च) प्रस्तावित समय अनुसूची जिसमें स्कीम के प्रारंभ की तारीख और समयावधि, जब तक परिपत्र या विज्ञापन मान्य है;

(छ) जमा जुटाने के कारण या उद्देश्य;

(ज) प्राप्त क्रेडिट रेटिंग; क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, प्राप्त रेटिंग, प्राप्त रेटिंग का अर्थ, रेटिंग प्राप्त करने की तारीख।

(झ) इस प्रकार की जमा प्राप्त करने के लिए सृजित या सृजित किए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हो, के संक्षिप्त विवरण,

(ञ) इस प्रकार की जमा में निदेशकों, संप्रवर्तकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई वित्तीय या अन्य सारवान् हित और उस हित का प्रभाव, जहां तक यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है।

3. किसी बकाया जमा का विवरण-

(क) बकाया रकम;

(ख) स्वीकृति की तारीख;

(ग) स्वीकृत कुल रकम;

(घ) ब्याज दर;

(ङ) जमाकर्ताओं की कुल संख्या;

(च) जमा के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम, यदि कोई हो, तो जिसमें जमाकर्ताओं की संख्या, व्यतिक्रम की रकम और अवधि दी जाए;

(छ) जमाकर्ताओं द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज में कोई छूट;

4. कंपनी की वित्तीय स्थिति

(क) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने के पहले और उसके पश्चात् की तारीख से पूर्व के तीन वर्ष के लिए कर का उपबंध करने से पहले और उसके पश्चात् कंपनी के लाभ;

(ख) उक्त तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश; पिछले तीन वर्षों के लिए ब्याज कवेरज (कर के पश्चात् नकद लाभ और ब्याज भुगतान के पश्चात् नकद लाभ)

(ग) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पूर्व के तीन संपरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार;

(घ) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पहले के तीन वर्षों के संपरीक्षित नकदी प्रवाह विवरण;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन और कंपनी के लाभ और आरक्षितियों पर उसका प्रभाव।

5. निदेशकों द्वारा घोषणा -

(क) कंपनी ने अधिनियम के प्रारंभ से पहले और इसके पश्चात् स्वीकृत जमा के प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है और जहां कंपनी ने व्यतिक्रम किया है वहां व्यतिक्रम पूरा कर लिया है और व्यतिक्रम पूरा करने की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि बीत गई है;

(ख) यह कि निदेशक बोर्ड ने कंपनी के कार्यों और भविष्य के संबंध में पूर्णतया समाधान कर लिया है और उनका यह विचार है कि कंपनी की प्रत्याशित भावी वित्तीय स्थिति को देखते हुए कंपनी अपनी देयताओं, जब वे बकाया होंगी, को पूरा कर सकेगी और कंपनी परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिवालिया नहीं होगी;

(ग) कंपनी ने अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है;

(घ) अधिनियम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं है कि जमा के प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्रीय सरकार की है;

(ङ) अधिनियम के प्रारंभ से पहले कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा का प्रतिसंदाय कर दिया गया है (या उस पर ब्याज के साथ ...... दिनों के भीतर (दिन विशिष्ट किया जाए) उसका प्रतिसंदाय कर दिया जाएगा और जब तक उसका प्रतिसंदाय नहीं होता है, ये प्रतिभूतिरहित और अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माने जाएंगे)।

(च) क्रेडिट रेटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होने पर जमाकर्ता को बिना किसी शास्ति के जमा वापस लेने का अवसर दिया जाएगा;

(छ) जमा का प्रयोग परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इंगित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा;

(ज) कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा (प्रतिभूति सहित जमा, यदि कोई हो, से भिन्न अन्य जमा, जिसकी कुल रकम उपदर्शित की जानी है) प्रतिभूतिरहित है और इसे कंपनी की अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माना जाएगा।

संलग्नक-

संलग्नकों की सूची"

1. लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र; **संलग्न करें**
2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो। **संलग्न करें**

संलग्नक हटाएं

(ii) डीपीटी-3 प्ररूप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप डीपीटी-3

जमा की विवरणी

[कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 और 16 के अनुसरण में]

प्ररूप की भाषा O **अंग्रेजी** O **हिंदी**

प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें

1. (क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) ________________________

   (ख) वैश्विक स्थिति संख्या (जीएलएन) ________________________ (पूर्व पूरित)

2. (क) कंपनी का नाम ____

   (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता ________________________________

   (ग) *ई-मेल आईडी ________________________

3. कंपनी का प्रकार O पब्लिक कंपनी O प्राइवेट कंपनी

4. *क्या कंपनी सरकारी कंपनी है O हां O नहीं

5. कंपनी के उद्देश्य ____

6. (क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख __________

   (ख) *लेखा बंद करने की अंतिम तारीख __________

   (ग) विज्ञापन या परिपत्र की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख __________

7. *विवरणी की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य-

क्रम संख्या	विशिष्टियां	राशि (रुपए में)
(क) (i)	समादत्त शेयरपूंजी	
(ii)	मुक्त आरक्षितियां	
(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	
(ख) (i)	संचित हानि	
(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष	
(iii)	कुल उपलब्ध न कराया गया अवमूल्यन	
(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च	
(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां	
(ग)	निवल मूल्य (क) - (ख)	
(घ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)	

8. *(क) 01 अप्रैल को जमाधारकों की कुल संख्या ____________

(ख) वित्त वर्ष के अंत में जमाकर्ताओं की कुल संख्या __________

9. *जमा की विशिष्टियां (रुपये में) ___________

(क) 01 अप्रैल को वर्तमान जमा रकम _______________________

(ख) वर्ष के दौरान नवीकृति जमा रकम _______________________

(ग) वर्ष के दौरान स्वीकृत नई जमा रकम _______________________

प्रतिभूत जमा ____________________

अप्रतिभूत जमा _ ____________________

(घ) वर्ष के दौरान लौटाई गई जमा रकम _______________________

(ड.) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष _______________________

10. (क) *जमा रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु दावा नहीं की गई है ____________

(ख) *जमा रकम जो परिपक्व और दावा की गई है परंतु भुगतान नहीं की गई ________

11. *नकद आस्तियों की विशिष्टियां

(क) जमाओं की राशि जो आगामी वर्ष 31 मार्च को या उससे पहले और आगामी वर्ष परिपक्व होने वाले रकम _________

(ख) नकद आस्तियों में निवेश के लिए अपेक्षित राशि ______________________

(ग) नकद आस्तियों का विवरण

विशिष्टियां	राशि
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में राशि	________
(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की अबाधित प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य	________ ________
(ग) अबाधित न्यास प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य	________ ________

12. प्रभार की विशिष्टियां

(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख ______________________

(ख) न्यासी का नाम ______________________

(ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार का सृजन किया जाना है, की संक्षिप्त विशिष्टियां ______________________

(घ) संपत्ति का मूल्य ______________________

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	संलग्न करें	
2. न्यास विलेख की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
3. प्रभार सृजित करने की लिखत की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
4. जमाकर्ताओं की सूची	संलग्न करें	
5. नकद आस्तियों का विवरण	संलग्न करें	
6. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो	संलग्न करें	

संलग्नक हटाएं

घोषणा पत्र

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख *____________ के संकल्प संख्या *___________ के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे अनुषंगिक विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नकों सहित उपर्युक्त समस्त सूचना सही, सत्य और पूरी है तथा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं गई है।

*डिजिटल हस्ताक्षर **डीएससी बॉक्स**

*पदनाम ____________________________

*निदेशक का डिन; या प्रबंधक या ____________________________
सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पण: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध है।

संशोधित करें **प्ररूप जांच** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत करें**

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ____________________________
ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख ______________ (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप रजिसट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ___________ **प्रस्तुति की पुष्टि करें**

हस्ताक्षर की तारीख ____________ (दिन/मास/वर्ष)”

[फा.सं.1/8/2013-सीएल-V]

के.वी. आर. मूर्ति
05/7/18

(के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि.256(अ) द्‌वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्‌वारा संशोधित किए गए:

(1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ), तारीख 06 जून, 2014
(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ), तारीख 31 मार्च, 2015
(3) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ), तारीख 15 सितंबर, 2015
(4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ), तारीख 29 जून, 2016 और
(5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ), तारीख 11 मई, 2017